सं0-2732/62-2-2016-2/3(16)/2016

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,
लघु सिंचाई संबंधित प्रखण्ड।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 **लखनऊ- दिनांक- 15 नवम्बर,2016**

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-83 (एस0सी0एस0पी0) के अधीन जिला योजना में संचालित गहरी बोरिंग योजना में प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में (जिला योजना)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के पत्र संख्या-2890/ल0सिं0/बजट-एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0/2016-17,दिनांक-27.09.2016 एवं पत्र संख्या-जी0-510/ल0सिं0/बजट-एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0/2016-17,दिनांक-18.10.2016 के संदर्भ में मुझें यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत एस0सी0एस0पी0 के कृषको के लिये प्राविधानित धनराशि रू0-623.64 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-1159/62-2-2016-2/3(16)/2016,दिनांक-26.04.2016 द्वारा धनराशि रू0-265.08 लाख अवमुक्त की जा चुकी है। इस प्रकार अवशेष धनराशि रू0-358.56 लाख (रू0-तीन करोड अट्ठावन लाख छप्पन हजार मात्र) को संलग्न विवरणानुसार राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति शासनादेश संख्या-1159/62-2-2016-2/3(16)/2016,दिनांक-26.04.2016 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है।

2- उक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि गत वित्तीय वर्ष 2015-16 की जिला योजना के अन्तर्गत जिन जनपदों में किसी योजना हेतु उपलब्ध परिव्यय उस योजना के लिये वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपलब्ध बजट प्राविधान से कम अथवा शून्य है, उन योजनाओं में बजट की सीमा तक की स्वीकृति जारी करने पर कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

को इस शर्त के साथ कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है, उन योजना में जिला योजना समिति का कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर लेंगे तथा अनुसूचित जाति सब प्लान/ट्राईवल सब प्लान के मानकों का अनुपालन करते हुये सम्पूर्ण धनराशि का व्यय सुनिश्चित करेंगे।

3- तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजानगत-80-सामान्य-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-04-पठारी क्षेत्रों की लघु सिंचाई निर्माण कार्य योजना (जिला योजना)-27-सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-746/दस-2016-231/2016,दिनांक-22.03.2016 तथा बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण के पत्र संख्या-07/26-ब0प्र0-2015,दिनांक-27.03.2015 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
(डा0 अनिता भटनागर जैन)
प्रमुख सचिव।

<u>सं0-2732(1)/62-2-2016, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- समस्त अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त।
5- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
6- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला अधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी।
7- सम्बन्धित सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग।
8- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
9- नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/3, उत्तर प्रदेश शासन।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
12- बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
13- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
14- एन0आई0सी0 की प्रति।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजानगत-80-सामान्य-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-04-पठारी क्षेत्रों की लघु सिंचाई निर्माण कार्य योजना (जिला योजना)-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का विवरण।

क्र0 सं0	जनपद	गत वर्ष में नियोजन विभाग द्वारा सूचित परिव्यय	वांछित अतिरिक्त परिव्यय	कुल परिव्यय	बजट प्राविधान	संशोधित बजट प्राविधान	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	संशोधित बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आगरा	0.00	8.90	8.90	0.00	8.90	0.00	8.90
2	मथुरा	8.90	8.90	17.80	8.90	17.80	8.90	8.90
3	मैनपुरी	1.78	0.00	1.78	1.78	1.78	1.78	0.00
4	अलीगढ	0.00	17.80	17.80	0.00	17.80	0.00	17.80
5	हाथरस	7.00	0.12	7.12	7.00	7.12	7.00	0.12
6	बरेली	7.12	0.00	7.12	7.12	7.12	7.12	0.00
7	बदायू	17.80	7.12	24.92	17.80	24.92	17.80	7.12
8	मुरादाबाद	0.00	3.56	3.56	0.00	3.56	0.00	3.56
9	रामपुर	1.78	0.00	1.78	1.78	1.78	1.78	0.00
10	बिजनौर	0.00	3.56	3.56	0.00	3.56	0.00	3.56
11	कानपुर नगर	0.00	8.90	8.90	0.00	8.90	0.00	8.90
12	कानपुर देहात	3.56	8.90	12.46	3.56	12.46	3.56	8.90
13	इटावा	3.56	12.46	16.02	3.56	16.02	3.56	12.46
14	औरैया	85.00	0.00	85.00	85.00	45.14	85.00	-39.86
15	फर्रूखाबाद	14.24	0.00	14.24	14.24	14.24	14.24	0.00
16	कन्नौज	8.90	0.00	8.90	8.90	8.90	8.90	0.00
17	इलाहाबाद	17.80	89.00	106.80	17.80	106.80	17.80	89.00
18	कौशाम्बी	8.90	35.60	44.50	8.90	44.50	8.90	35.60
19	फतेहपुर	5.34	62.30	67.64	5.34	67.64	5.34	62.30
20	वाराणसी	0.00	17.80	17.80	0.00	17.80	0.00	17.80
21	मिर्जापुर	0.00	7.12	7.12	0.00	7.12	0.00	7.12
22	झांसी	8.90	7.12	16.02	8.90	16.02	8.90	7.12

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

23	जालौन	0.00	7.12	7.12	0.00	7.12	0.00	7.12
24	ललितपुर	26.70	53.40	80.10	26.70	80.10	26.70	53.40
25	हमीरपुर	20.00	17.38	37.38	20.00	37.38	20.00	17.38
26	बॉदा	0.00	3.56	3.56	0.00	3.56	0.00	3.56
27	चित्रकूट	17.80	17.80	35.60	17.80	35.60	17.80	17.80
	अतिरिक्त प्राविधान			0.00	358.56			
	योग-	265.08	398.42	663.50	623.64	623.64	265.08	358.56

(रूपया तीन करोड अट्ठावन लाख छप्पन हजार मात्र)

(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।